अध्याय 4

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय 4

वित्तीय प्रबंधन

किसी भी संगठन में कुशल निधि प्रबंधन समय की जरूरत है। यह निर्णय लेने, उपयुक्त समय पर अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध संसाधनों के ऑप्टिमाइज आउटपुट के लिए एक साधन के रूप में भी कार्य करता है। कंपनी के राजस्व का मुख्य स्रोत विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत की बिक्री है।

4.1 टैरिफ का निर्धारण

कंपनी हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर हरियाणा विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत बेचती है। विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ/ऊर्जा प्रभार हर वर्ष कंपनी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के आधार पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय किया जाता है। टैरिफ/ऊर्जा प्रभार अर्थात् स्थायी लागत और परिवर्तनीय लागत हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती है। इस संबंध में लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

4.1.1 ईंधन मूल्य समायोजन के माध्यम से ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2012 अधिसूचित किया जो हरियाणा राज्य में विद्युत के उत्पादन, प्रसारण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें निर्धारित करता है। एक उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत की बिक्री के विरूद्ध ऊर्जा/परिवर्तनीय प्रभारों की वसूली की प्रक्रिया को क्लॉज 31 से 33 में परिभाषित किया गया है।

बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों की क्लॉज 33 के अनुसार, ईंधन मूल्य समायोजन विभिन्न कारकों पर आधारित है जैसे मानक ईंधन (कोयला और तेल) की खपत, मानक स्टेशन हीट रेट, मानक सहायक खपत, टैरिफ आदेश के अनुसार ईंधन (तेल और कोयला) के लिए ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू का आधार मूल्य, विद्युत स्टेशन पर माह के लिए जमा किए गए इनवॉइसिस के अनुसार कोयले का भारित औसत मूल्य इत्यादि।

कंपनी पिछले माह के दौरान आपूर्ति की गई निवल ऊर्जा के आधार पर प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले दिन विद्युत की बिक्री के लिए वितरण कंपनियों को मासिक अनंतिम बिल प्रस्तुत करती है। यह बिल संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा प्रभार दर पर प्रस्तुत किया जाता है जैसा कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेश में निहित है। पिछले माह के दौरान ईंधन की कीमतों के समायोजन को शामिल करने के बाद उस माह के 7/8 वें दिन अंतिम बिल प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी प्रत्येक माह के दौरान खपत किए गए कोयले के भारित औसत मूल्य की गणना के लिए एक मासिक कोयला मूल्य स्टोर खाता-बही तैयार करती है। कोयले के इस भारित औसत मूल्य का उपयोग इसी माह के लिए ईंधन मूल्य समायोजन राशि की गणना करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अप्रैल माह के

लिए भारित औसत मूल्य का उपयोग अप्रैल माह के ईंधन मूल्य समायोजन की गणना के लिए किया जाता है।

सभी तीन थर्मल संयंत्रों के संबंध में ईंधन मूल्य समायोजन बिलों और कोयला मूल्य स्टोर खाता-बही की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि कोयला मूल्य स्टोर खाता-बही के अनुसार माह के दौरान खपत किए गए कोयले के भारित औसत मूल्य का उपयोग अप्रैल 2016 से सितंबर 2017 के दौरान ईंधन मूल्य समायोजन बिलों के प्रस्तुतीकरण के दौरान नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, कंपनी ने ईंधन मूल्य समायोजन बिल तैयार करते समय (अर्थात मई महीने के दौरान उत्पादित और बेची गई ऊर्जा के लिए) पिछले महीनों के भारित औसत मूल्य (अप्रैल महीने के दौरान खपत किए गए कोयले का) का उपयोग किया। इस प्रकार, ईंधन मूल्य समायोजन बिलों को जमा करते समय संगत महीनों से भिन्न भारित औसत मूल्य का उपयोग करने के परिणामस्वरूप विद्युत वितरण कंपनियों से अप्रैल 2016 से सितंबर 2017 के दौरान ₹ 5.45 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.1)*** के ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली हुई। ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली से कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है जो अंततः वित्त प्रभारों में वृद्धि करेगी। ₹ 5.45 करोड़ की इस राशि पर ब्याज के कारण कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 3.23 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.1)*** परिगणित किया गया है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि ईंधन मूल्य समायोजन बिल को बढ़ाने की नियत तारीख महीने की 8 तारीख थी लेकिन अप्रैल 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान उसी महीने के बिल उपलब्ध नहीं थे। अगले महीने में बिल की प्राप्ति मूल्य स्टोर खाता बही में दर्ज की गई थी और भारित औसत मूल्य को तदनुसार संशोधित किया गया था और उसी आधार पर बिजली बिल की बिक्री में ऊर्जा प्रभार दर प्रभारित की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोयले की खपत, कीमत और वास्तविक उत्पादन प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग थे। इसलिए, कंपनी द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों के अनुसार संगत भारित औसत मूल्य लागू किया जाना चाहिए था।

4.1.2 स्थायी लागत की अधिक वसूली

पश्चिमी यमुना नहर, भुडकलां की वार्षिक स्थायी लागत का भुगतान विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मानक प्लांट लोड फैक्टर की प्राप्ति के अधीन किया जाता है। टैरिफ आदेशों में प्रावधान है कि स्थायी लागत का निर्धारण करते समय, मानित उत्पादन सहित किसी भी यूनिट के वार्षिक प्लांट लोड फैक्टर के मामले में, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के आदेश में दिए गए मानक प्लांट लोड फैक्टर से कम है, वसूली योग्य वार्षिक निश्चित प्रभार आनुपातिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और यदि प्लांट लोड फैक्टर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के आदेश में दिए गए मानक प्लांट लोड फैक्टर से अधिक है, निश्चित प्रभार हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रभार तक सीमित हैं।

निम्नलिखित तालिका 2016-17 से 2020-21 के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

द्वारा निर्धारित और कंपनी द्वारा वसूल की गई स्थायी लागत का विवरण दर्शाती है:

तालिका 4.1: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मानक प्लांट लोड फैक्ट, प्राप्त वास्तविक प्लांट लोड फैक्ट और स्थायी लागत की वसूली

वर्ष	प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत)		स्थायी लागत (₹ करोड़ में)		
	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित	वास्तविक	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित	वास्तविक वसूली	अंतर
2016-17	37	37.55	49.816	49.816	शून्य
2017-18	37	32.33	43.374	37.983	-5.391
2018-19	37	43.48	54.876	64.711	9.835
2019-20	43.5	54.74	62.552	79.173	16.621
2020-21	46	44.63	37.620	36.502	-1.118

स्रोत: विद्युत की बिक्री के बिल और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश

यह देखा गया है कि वर्ष 2016-17 के दौरान, वास्तविक प्लांट लोड फैक्टर 37.55 प्रतिशत था, जबकि मानक प्लांट लोड फैक्टर 37 प्रतिशत था और इस प्रकार कंपनी ने ₹ 49.816 करोड़ की पूर्ण वार्षिक स्थायी लागत वसूल की। तथापि, वर्ष 2017-18 और 2020-21 के दौरान जलविद्युत परियोजना मानक प्लांट लोड फैक्टर हासिल नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप इन अवधियों के दौरान कंपनी द्वारा पूर्ण वार्षिक स्थायी लागत की वसूली नहीं की जा सकी।

आगे, 2018-19 और 2019-20 के दौरान, वास्तविक प्लांट लोड फैक्टर 37 और 43.5 प्रतिशत के मानक लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 43.48 और 54.74 प्रतिशत था। संबंधित वर्षों के हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेशों के अनुसार, कंपनी इन वर्षों के दौरान वार्षिक स्थायी लागत की पूर्ण वसूली की हकदार थी। तथापि, कंपनी ने ₹ 54.876 करोड़ और ₹ 62.552 करोड़ के अनुमोदित स्थायी लागत के विरूद्ध क्रमशः ₹ 64.711 करोड़ और ₹ 79.173 करोड़ की स्थायी लागत की वसूली की। इस प्रकार, कंपनी ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 9.835 करोड़ और ₹ 16.621 करोड़ की अतिरिक्त स्थायी लागत वसूल की। लेखापरीक्षा में अधिक वसूली के कारणों का विश्लेषण किया गया था और यह पाया गया था कि कंपनी ने मासिक स्थायी लागत बिलों को मानक ऊर्जा प्रभार दर (वार्षिक स्थिर लागत को मानक उत्पादन के साथ विभाजित करके) से गुणा करके मासिक उत्पादन के आधार पर प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, जब भी वास्तविक उत्पादन मानक उत्पादन से अधिक था, कंपनी ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के उल्लंघन में अधिक स्थायी लागत वसूल की।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि स्थायी लागत की राशि संचयी प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर वसूल की जानी चाहिए थी और स्थायी लागत की वसूली हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित प्लांट लोड फैक्टर के अनुसार निर्धारित राशि तक सीमित रखी जानी चाहिए थी। इस प्रकार, कंपनी द्वारा 2018-20 की अवधि के दौरान ₹ 26.46 करोड़ की स्थायी लागत की अधिक वसूली हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेशों के उल्लंघन में की गई थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने कंपनी के बिजली बिलों की बिक्री से मनमाने ढंग से ब्याज सहित उपर्युक्त राशि की कटौती की थी और कंपनी ने उपर्युक्त वसूली के विरूद्ध विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की थी। मामले का अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है (मई 2022)।

4.1.3 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अधिक वसूली

बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों के क्लॉज 30 में स्थायी लागत की वसूली का प्रावधान है जिसमें कार्यशील पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, वित्त प्रभार, संचालन एवं रखरखाव लागत आदि शामिल हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के प्रमुख घटकों में बिजली की बिक्री के लिए स्थिर और परिवर्तनीय प्रभारों के बराबर कोयले की लागत और प्राप्तियां शामिल हैं। विनियमों के क्लॉज 22.1 में आगे निम्नलिखित के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर ब्याज की वसूली का प्रावधान है:

- 2016-20 की अवधि के लिए मानक उपलब्धता के अनुरूप दो माह की खपत के बराबर कोयले की लागत जिसे 2020-21 से घटाकर एक माह कर दिया गया था।
- मानक उपलब्धता के अनुरूप परिगणित ऊर्जा प्रभारों (एक माह के लिए निश्चित और परिवर्तनीय प्रभार) के लिए एक माह के बराबर प्राप्तियां।

नियत लागत की वसूली के संबंध में अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि वास्तविक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक आवश्यकता से कम रही। इस संबंध में प्रमुख लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

(क) मानक स्तर से नीचे कोयला स्टॉक का रखरखाव जिसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अधिक वसूली हुई

दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में कोयला स्टॉक के रखरखाव से संबंधित 2016-21 के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दैनिक कोयला स्टॉक का वास्तविक औसत स्तर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक स्तर से कम रहा। 2016-17 और 2017-18 के दौरान अनुरक्षित औसत कोयला स्टॉक का विवरण निम्नानुसार था:

तालिका 4.2: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश अर्थात वास्तविक औसत आवश्यकता के अनुसार मानक कोयला स्टॉक को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकता के विरुद्ध दावा किया गया अधिक ब्याज

(₹ करोड़ में)

प्लांट का नाम	वर्ष	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश के अनुसार मानक कोयला स्टॉक पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता	कोयला स्टॉक में शामिल वास्तविक औसत कार्यशील पूंजी	अंतर	दावा किए गए अधिक ब्याज की राशि[1]
दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुना नगर	2016-17	211.36	116.64	94.72	9.99
	2017-18	211.13	80.07	131.06	13.83
		कुल			**23.82**
राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, हिसार	2016-17	469.78	217.44	252.34	26.62
	2017-18	451.03	106.90	344.13	36.31
		कुल			**62.93**
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत	2016-17	274.80	204.44	70.36	7.42
	2017-18	246.34	122.53	123.81	13.06
		कुल			**20.48**
		कुल योग			**107.23**

स्रोत: थर्मल प्लांटों के कोयला मूल्य स्टोर लेजर और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश

[1] 2016-17 और 2017-18 के दौरान कार्यशील पूंजी पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमत 10.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर गणना की गई।

यह अवलोकित किया गया था कि कोयला स्टॉक के रखरखाव के लिए वास्तविक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मानक स्तर से कम रही। तथापि, कंपनी ने संबंधित वर्षों के लिए ट्रू-अप याचिका दाखिल करते समय इस राशि का उल्लेख नहीं किया। परिणामस्वरूप, कंपनी ने हरियाणा विद्युत वितरण कंपनियों से टैरिफ के माध्यम से कोयला स्टॉक के रखरखाव में शामिल कार्यशील पूंजी पर ₹ 107.23 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का दावा किया और वसूली की। इससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

आगे संवीक्षा से पता चला कि 2018-19 से 2019-20 के दौरान, कार्यशील पूंजी की वास्तविक आवश्यकता भी मानक स्तर से नीचे रही। तथापि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ट्रू-अप निर्धारण करते हुए उपर्युक्त का संज्ञान लिया था और संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर वास्तविक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर ब्याज की अनुमति दी थी। 2020-21 के ट्रू-अप को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था।

(ख) विद्युत के कम उत्पादन के कारण प्राप्य बिक्री के संबंध में कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अधिक वसूली

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन का वास्तविक प्लांट लोड फैक्टर मानक प्लांट लोड फैक्टर से कम रहा, जिस पर कार्यशील पूंजी की गणना की गई थी। तदनुसार, विद्युत उत्पादन हेतु प्राप्य के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उस वर्ष से कम थी जिसकी परिकल्पना विशेष वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय की गई थी। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए संयंत्र द्वारा वास्तविक उत्पादन के आधार पर टैरिफ आदेशों में अनुमोदित प्रत्येक माह की प्राप्य राशि और वास्तविक औसत मासिक प्राप्य राशि का विवरण निम्नानुसार था:

तालिका 4.3: प्राप्य बिक्री के विरूद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर दावा किए गए अधिक ब्याज को दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत की बिक्री पर अनुमोदित प्राप्य (एक माह)	वितरण कंपनियों को दावा/उठाई गई वास्तविक राशि (वार्षिक)	औसत दावा मासिक	प्राप्य के कारण अनुमत अधिक राशि	कार्यशील पूंजी पर अनुमत ब्याज दर (प्रतिशत में)	अनुमत अधिक ब्याज
क दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट						
2016-17	140.47	1,379.73	114.98	25.49	10.55	2.69
2017-18	143.31	1,516.85	126.40	16.91	10.55	1.78
कुल (क)	**283.78**		**241.38**	**42.40**		**4.47**
ख राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट						
2016-17	302.17	1,974.47	164.54	137.63	10.55	14.52
2017-18	292.39	2,338.08	194.84	97.55	10.55	10.29
कुल (ख)	**594.56**		**359.38**	**235.18**		**24.81**
ग पानीपत थर्मल पावर स्टेशन						
2016-17	180.66	1,154.08	96.17	84.49	10.55	8.91
2017-18	161.95	1,303.56	108.63	53.32	10.55	5.63
कुल (ग)	**342.61**		**204.8**	**137.81**		**14.54**
कुल योग	**1,220.95**		**805.56**	**415.39**		**43.82**

स्रोत: विद्युत की बिक्री के बिल और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश

यह देखा गया कि

- कुल औसत मासिक प्राप्य के कारण कार्यशील पूंजी की वास्तविक आवश्यकता 2016-18 की अवधि के दौरान ₹ 1,220.95 करोड़ की मानक आवश्यकता के विरूद्ध ₹ 805.56 करोड़ थी। अतः वास्तविक औसत कार्यशील पूंजी वर्ष 2016-18 की अवधि के दौरान उत्पादन के निम्न स्तर के कारण मानक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता से ₹ 415.39 करोड़ कम थी। इस प्रकार, कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनियों से प्राप्तियों के कारण कार्यशील पूंजी पर ₹ 43.82 करोड़ के अधिक ब्याज का दावा किया और वसूली की।
- 2018-19 से 2019-20 के दौरान, कार्यशील पूंजी की वास्तविक आवश्यकता भी मानक स्तर से नीचे रही। तथापि, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए टैरिफ को ट्रू-अप करते हुए उपर्युक्त का संज्ञान लिया था और संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर वास्तविक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर ब्याज की अनुमति दी थी। 2020-21 के लिए टैरिफ के ट्रू-अप को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि कार्यशील पूंजी की गणना के दौरान, प्राप्तियों को मानक आधार पर माना जाता है न कि वास्तविक आधार पर और ट्रू-अप केवल तभी लागू होता है जब ब्याज दर आयोग द्वारा निर्दिष्ट स्तर से नीचे या उससे अधिक हो। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्लॉज 8.3.8 के अनुसार, ब्याज और वित्त प्रभार 'नियंत्रणीय मद' हैं जो बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों की क्लॉज 13.3 के अनुसार ट्रू-अप के अधीन हैं।

4.1.4 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में फ्लाई ऐश निधि के उपयोग के कारण अनुचित वित्तीय प्रबंधन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना (2009) में प्रावधान किया कि फ्लाई ऐश की बिक्री से एकत्र की गई राशि को अलग लेखा शीर्ष में रखा जाना चाहिए और इसका उपयोग केवल बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के विकास, फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए प्रोत्साहन और सुविधा गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए जब तक कि 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग स्तर प्राप्त न हो जाए। तत्पश्चात जब तक 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग स्तर बनाए रखा जाता है, थर्मल पावर स्टेशन अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए भी एकत्र की गई राशि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कंपनी फ्लाई ऐश के उपयोग के स्तर को 100 प्रतिशत (मार्च 2021) प्राप्त करने में सक्षम नहीं रही है, जैसा कि **अनुच्छेद 5.1.3** में चर्चा की गई है।

नीचे दी गई तालिका 2016-17 से 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा ऐश की बिक्री और उसके उपयोग के माध्यम से एकत्र की गई राशि का विवरण दर्शाती है:

तालिका 4.4: ड्राई फ्लाई ऐश निधि के संबंध में एकत्र की गई निधियों और किए गए व्यय के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल योग
प्रारंभिक शेष	239.31	295.97	346.36	397.33	440.74	-
वर्ष के दौरान एकत्रित निधियां	60.38	51.85	53.83	44.76	41.30	**252.12**
कुल निधियां	299.69	347.82	400.19	442.09	482.04	-
घटा: वर्ष के दौरान व्यय	3.72	1.46	2.86	1.35	5.84	**15.23**
अंत शेष	295.97	346.36	397.33	440.74	476.20	-

स्रोत: कंपनी के वार्षिक लेखे

यह देखा गया है कि कंपनी ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान फ्लाई ऐश की बिक्री के माध्यम से ₹ 252.12 करोड़ प्राप्त किए और इस अवधि के दौरान ₹ 15.23 करोड़ का उपयोग किया। फ्लाई ऐश की बिक्री के माध्यम से एकत्रित ऐश निधि में ₹ 476.20 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही।

कंपनी के थर्मल पावर स्टेशनों ने ऐश की बिक्री से राजस्व दर्ज किया था और निधियों को अपने सामान्य खाते में रखा था। कंपनी ने ऐश की बिक्री के माध्यम से प्राप्त आय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिशानिर्देशों के अंतर्गत अलग खाते में नहीं रखा था। कंपनी ने इस निधि का इस्तेमाल सामान्य कारोबार में किया। यह आकलन किया गया है कि कंपनी ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान संबंधित वर्षों की कार्यशील पूंजी पर ₹ 166.77[2] करोड़ के ब्याज की बचत की। तथापि, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए टैरिफ ऑर्डर के ट्रू-अप होने के दौरान, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने लाभार्थी (अर्थात् हरियाणा विद्युत वितरण कंपनियों) को कार्यशील पूंजी पर ब्याज के कारण लाभ/बचत प्रदान की थी। कंपनी ने सितंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान इन निधियों पर ₹ 8.12 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

इस प्रकार, अनुचित वित्तीय प्रबंधन के कारण, कंपनी ने न तो इस फ्लाई ऐश निधि का उपयोग बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के विकास, फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए प्रचार और सुविधा गतिविधियों के लिए किया और न ही निधि को अलग खाते में रखा। जिसके कारण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 2009 की अधिसूचना के उल्लंघन में इस निधि का सामान्य व्यवसाय में उपयोग किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 166.77 करोड़ के ब्याज पर बचत की और वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ट्रू-अप के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण कंपनियों को लाभ दिया गया। इसलिए, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण, राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव का बोझ नहीं था और कंपनी द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। कंपनी इस बात पर विचार कर सकती है कि यदि वह 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग स्तर प्राप्त कर लेती है, तो वह अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए भी एकत्रित राशि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी। तथापि, मार्च 2021 तक 306.46 लाख मीट्रिक टन पोंड ऐश का ढेर पड़ा था जिसे निपटाने की आवश्यकता थी। इसलिए, कंपनी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों को पूरा करने में विफल रही, जो इसे अपनी कार्यशील पूंजी के हिस्से के रूप में फ्लाई ऐश निधि का उपयोग करने में सक्षम बनाती।

---

[2] संबंधित वर्षों की ऐश निधि के अप्रयुक्त प्रारंभिक शेष पर संबंधित वर्षों के टैरिफ आदेशों में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमत कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर पर गणना की गई है।

4.2 निष्कर्ष

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के उल्लंघन में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग मानदंडों के विरूद्ध उच्च प्लांट लोड फैक्टर की प्राप्ति के कारण कंपनी ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान ₹ 26.46 करोड़ की अतिरिक्त स्थायी लागत की वसूली की।

सभी थर्मल प्लांटों में दैनिक कोयला स्टॉक का वास्तविक औसत स्तर 2016-21 की अवधि के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक स्तर से कम रहा। परिणामस्वरूप, कंपनी ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान हरियाणा विद्युत वितरण कंपनियों से टैरिफ के माध्यम से कार्यशील पूंजी पर ₹ 107.23 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का दावा किया और वसूल किया जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

बिक्री प्राप्तियों में शामिल वास्तविक औसत कार्यशील पूंजी वर्ष 2016-18 की अवधि के दौरान उत्पादन के निम्न स्तर के कारण मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकता से ₹ 415.39 करोड़ कम थी। इस प्रकार, कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनियों से प्राप्तियों के कारण कार्यशील पूंजी पर ₹ 43.82 करोड़ के अधिक ब्याज का दावा किया और वसूली की।

कंपनी ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान फ्लाई ऐश की बिक्री के माध्यम से ₹ 252.12 करोड़ की राशि प्राप्त की लेकिन इस अवधि के दौरान केवल ₹ 15.23 करोड़ का उपयोग किया। फ्लाई ऐश की बिक्री के माध्यम से एकत्रित ऐश निधि में ₹ 476.20 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही। कंपनी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इस निधि का इस्तेमाल सामान्य कारोबार में किया।

4.3 सिफारिशें

- राज्य उपभोक्ताओं पर किसी भी अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए कंपनी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों से स्थायी लागत के लिए अपने प्रभार वसूल करने चाहिए।
- कंपनी को राज्य के उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह के अनुचित वित्तीय बोझ से बचने के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विद्युत वितरण कंपनियों से कोयला स्टॉक और प्राप्तियों में शामिल कार्यशील पूंजी पर ब्याज का दावा करना चाहिए।
- कंपनी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्राई फ्लाई ऐश की बिक्री से प्राप्त निधियों का उपयोग करना चाहिए।